

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220017
CG-DL-E-19062020-220017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942
No. 152]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISTHA 29, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धि पत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2020

मामला सं. एडीडी (ओआई) 33/2019

विषय: - चीन जन. गण. से एनिलीन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच ।

फा. सं. 6/42/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध पाटन रोधी जांच के संबंध में दिनांक 12.06.2020 की अधिसूचना सं. 6/42/2019- डीजीटीआर के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए हैं ।

1. पैरा 98 के पाठ (टैक्स्ट) के स्थान पर निम्नलिखित पाठ रखा जाता है ।

“98. नियमावली के नियम 4 (घ) में निहित प्रावधानों के सन्दर्भ में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के कमतर के समान पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके । तदनुसार, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी

की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समान अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।”

2. पैरा 98 पर शुल्क तालिका अपरिवर्तित रहेगी।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2020

Case No. ADD (OI) 33/2019

Subject: - Anti-dumping investigation concerning the imports of Aniline from China PR

F. No. 6/42/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority has issued the Preliminary Finding, vide notification No. 6/42/2019-DGTR dated 12th June 2020, in respect of subject Anti-dumping investigation.

1. Text of para 98 of the said notification is substituted by the following text.

“98. In terms of provision contained in Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, provisional anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from subject country.”

2. Duty table at para 98 remains unchanged.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority